

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 002/2019 (GCMS 2019/00124)	दायर दिनांक 04.02.2019	निर्णय दिनांक 11.08.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

1. कुशल सिंह जैन पुत्र हिम्मत सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स राजेन्द्र एजेन्सीज (मो.नं. 9983505110) सदर बाजार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 निवासी डी 4, आदर्श कालोनी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001
2. आन्नदी लाल चित्तौड़ा पुत्र देवीलाल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अनिल ट्रेडर्स (मो.नं. 941337340) 17 मन्डी की नाल उदयपुर 313001 (राज.) निवासी यूनिवर्सिटी रोड गोकुलपुरा, आयड़ उदयपुर 313001 (राज.)
3. गिरीश गोयल पुत्र देवेन्द्र गोयल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स गोयल फुड प्रोडक्ट्स (मो.नं. 9827346622) 6-3, सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, उज्जैन रोड देवास (मध्यप्रदेश) निवासी 83 वार्ड नंबर 21, तारानी कॉलोनी, देवास (मध्यप्रदेश) 455001

अप्रार्थीगण

--:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::--

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक FH/PFA/Notification/2011/440



Dated 25-07-2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को समय 04.20 पीएम पर मैसर्स राजेन्द्र एजेन्सीज निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़. 312001 (राज.) पर पहुँचा। वहां पर कुशल सिंह जैन पुत्र हिम्मत सिंह (विक्रेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक फर्म को हैसियत से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (Crown Brand) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य लाईसेन्स प्रति प्रस्तुत की जो कि संलग्न है। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म के मालिक श्रीमति हर्षा देवी केलवानी है। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर मिर्च पाउडर (Crown Brand) बेच नम्बर 10 के कुल 26 सील्ड पोलिपेक (प्रत्येक सील्ड पोलिपेक में 500-500 ग्राम मिर्च पाउडर (Crown Brand) विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पोलिपेक मिर्च पाउडर (Crown Brand) ध्यान से देखने पर उस पर मिर्च पाउडर (Crown Brand), Net Weight 500 g., Batch No. 10, M.R.P. 82/- Mfg. Date Jan. 18 Best before 8 MONTHS FROM THE DATE OF PACKAGING, Mfg. By- New Suraj Industries 7, Industrial Area, Ujjain Rond, Dewas 455001 (M.P.) आदि अंकित पाया गया। विक्रेता ने उक्त मिर्च पाउडर (Crown Brand) का वेट ईनपाईस/खरीद बिल मैसर्स अनिल ट्रेडर्स द्वारा जारी दिनांक 15.02.2018 प्रस्तुत किया गया। उक्त मिर्च पाउडर (Crown Brand) में मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जाँच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वारते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर VA की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार-बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 500-500 ग्राम के 4 सील्ड पोलिपेक वास्ते नमूना जाँच हेतु



खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 294/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चार बराबर-बराबर भागों में (प्रत्येक भाग मे 1 सील पेकेट) बाँट कर अलग-अलग रखा। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-929 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाईं और एवं एक बाईं और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्सीएटेड लैब में जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने के कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं.6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द



कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स राजेन्द्र एजेन्सीज निम्बाहेड़ा एवं मैसर्स अनिल ट्रेडर्स उदयपुर एवं मैसर्स गोयल फुड प्रोडक्ट्स देवास (मध्यप्रदेश) को रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओ चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/1781 दिनांक 09.04.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओ चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1781 दिनांक 09.04.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/279 दिनांक 17.01.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्रधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने मिर्च पाउडर (Crown Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 देवेन्द्रसिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 महेन्द्र सिंह पिता भगवतसिंह च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह/नमुना जाँच हेतु प्रयोगशाला मे जमा कराने बाबत), गवाह संख्या 3 डॉ० इन्द्रजीत सिंह, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (पेपर स्लिप आदि जारी करने व न्याय निर्णयन आवेदन हेतु अधिकृत करने बाबत) पेश किये।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के गजट नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के चित्तौड़गढ़ में पदस्थापन आदेश की सत्यापित प्रति।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यक्षेत्र आवंटन की सत्यापित प्रति।
4. फार्म नम्बर 05 असल प्रति।
5. पैसो की रसीद असल प्रति।
6. मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति।
7. फार्म नम्बर 06 असल प्रति।
8. नमूना खाद्य विश्लेषक को भेजने का पत्र असल प्रति।
9. खाद्य विश्लेषक उदयपुर द्वारा जारी नमूना प्राप्त होने की रसीद असल प्रति।
10. खाद्य विश्लेषक उदयपुर द्वारा जारी नमूना प्राप्त होने की फार्म नम्बर 06 पर प्राप्ति रसीद असल प्रति।
11. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा द्वारा जारी नमूने के II, III, IV भागों की प्राप्ति रसीद असल प्रति।
12. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) का अग्रेषण पत्र मय मूल पोस्टल रसीदों के असल प्रति।
13. जांच रिपोर्ट असल प्रति।
14. खाद्य लाईसेंस प्रति व नमूने का लेबल मूल व फोटो प्रति एवं नमूने का विक्रय बिल एवं अनिल ट्रेडर्स उदयपुर द्वारा जारी वेट ईनवाईस की प्रति।
15. मैसर्स अनिल ट्रेडर्स उदयपुर को प्रेषित पत्रांक 2300 दिनांक 21.05.2018 एवं रजिस्टर्ड पत्रांक 2847 दिनांक 26.06.2018 एवं पत्रांक 3823 दिनांक 07.09.2018 की मूल कार्यालय प्रतियां व प्राप्त प्रतिउत्तर मूल।
16. वाणिज्यिक विभाग उदयपुर को प्रेषित पत्रांक 3827 दिनांक 07.09.2018 व प्राप्त प्रतिउत्तर मूल।
17. मैसर्स गोयल फुड प्रोडक्ट्स देवास को प्रेषित पत्रांक 3934 दिनांक 17.09.2018 एवं रजिस्टर्ड पत्रांक 15 दिनांक 02.01.2019 मूल कार्यालय प्रतियां व प्राप्त प्रतिउत्तर मूल।
18. न्याय निर्णयन हेतु अधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रति।
19. न्याय निर्णयन हेतु अधिकृत करने का पत्र।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया



गया। इस पर दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 11.08.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3 की और से अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं हाजिर आये। अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जवाब परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली किये जाने की ईशतदुआ की। इस पर हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 3 को सुना गया। अप्रार्थीगण ने सामूहिक रूप से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थीगण का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थी को माफ कराया जावे एवं खाद्य विश्लेषक उदयपुर द्वारा आक्षेपित विषय वस्तु मामूली त्रुटि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सुधार किया जा चुका है। अतः लोक अदालत की भावना से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर अप्रार्थीगण को दोष मुक्त घोषित किया जावे। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (Crown Brand) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 24.02.2018 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (Crown Brand) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-929 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपड़ी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को



नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्रसिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-929 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 26.02.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1781 दिनांक 09.04.2018 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 88/ACT/2018/89 Dated 13-03-2018 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 88/ACT/2018/89 Dated 13-03-2018 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report LS 88/ACT/2018/89 Dated 13-03-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Chilli Powder (Crown-select brand) bearing code no. and serial no. AM- 929 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 26.02.2018 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Chilli Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 12.03.2018 to 13.03.2018 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(1) Sample description:- The sealed sample contained in a pet jar having original company aluminum poly pack of 500g.



- (ii) Physical appearance:- Red powder, No visible insect infestation or mould growth.
- (iii) Label :- Brand- Crown-Select, Name of food- Chilli Powder, Mfg. by- New Suraj Industries, 7, Industrial Area, Ujjain Road, Dewas- 455001 (M.P.), Pkd. on.- JAN.18, Lot No.- 10, Best before 08 Months- Present, Green symbol of veg.- Present. Agmark C.A. No.- AF-15900,WR/BPL/S/08/16-V-309736, Bar code no.- 8906049370512, Ingredients- Given but not as per regulation Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample of Chilli Powder (Crown-select brand) bearing code no. and serial no. AM-929 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food as Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. The sample is misbranded food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्रसिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 12.03.2018 से 13.03.2018 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Chilli Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. sample of Chilli Powder (Crown-select brand) bearing code no. and serial no. AM-929 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food as Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. The sample is misbranded food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-929** मिर्च पाउडर (Crown Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2018/1781 दिनांक 09.04.2018, सम/2332 दिनांक 22.05.2018 एवं सम/3941 दिनांक 18.09.2018 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2019/279 दिनांक 17.01.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर



अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 19 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or



- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is—
- Supplied after the date of its expiry; or
 - Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
 - Unsafe or misbranded; or
 - Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
 - Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
 - received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
- sold after the date of its expiry; or
 - handled or kept in unhygienic conditions; or
 - misbranded; or
 - unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
 - received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम



2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 कुशल सिंह जैन पुत्र हिम्मत सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स राजेन्द्र एजेन्सीज (मो.नं. 9983505110) सदर बाजार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 निवासी डी 4, आदर्श कालोनी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001, अप्रार्थी संख्या 2 आन्नदी लाल चित्तौड़ा पुत्र देवीलाल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अनिल ट्रेडर्स (मो.नं. 941337340) 17 मन्डी की नाल उदयपुर 313001 (राज.) निवासी यूनिवर्सिटी रोड गोकुलपुरा, आयड़ उदयपुर 313001 (राज.) एवं निर्माता अप्रार्थी संख्या 3 गिरीश गोयल पुत्र देवेन्द्र गोयल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स गोयल फुड प्रोडक्ट्स (मो.नं. 9827346622) 6-3, सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, उज्जैन रोड देवास (मध्यप्रदेश) निवासी 83 वार्ड नंबर 21, तारानी कॉलोनी, देवास (मध्यप्रदेश) 455001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभिवृत्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभिवृत्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- The repetitive nature of the contravention,
- Whether the contravention is without his knowledge, and
- Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

- Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of



food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

- (2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री कुशल सिंह जैन पुत्र हिम्मत सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स राजेन्द्र एजेन्सीज (मो.नं. 9983505110) सदर बाजार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 निवासी डी 4, आदर्श कालोनी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001 को रूपये 4000/- अक्षरे चार हजार रूपये मात्र अभियुक्त संख्या 2 आन्नदी लाल चित्तौड़ा पुत्र देवीलाल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अनिल ट्रेडर्स (मो.नं. 941337340) 17 मन्डी की नाल उदयपुर 313001 (राज.) निवासी यूनिवर्सिटी रोड गोकुलपुरा, आयड़ उदयपुर 313001 (राज.) को रूपये 6000/- अक्षरे छः हजार रूपये मात्र एवं खाद्य पदार्थ के निर्माता अप्रार्थी संख्या 3 गिरीश गोयल पुत्र देवेन्द्र गोयल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स गोयल फुड प्रोडक्ट्स (मो.नं. 9827346622) 6-3, सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, उज्जैन रोड देवास (मध्यप्रदेश) निवासी 83 वार्ड नंबर 21, तारानी कॉलोनी, देवास (मध्यप्रदेश) 455001 को रूपये 10000/- अक्षरे दस हजार रूपये मात्र अर्थात् कुल रूपये 20000/- अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.08.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़